<u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल</u> (पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

<u>व्य.वाद. क्रमांक: 47ए / 16</u> संस्थापन दिनांक: <u>21 / 11 / 2014</u> फाईलिंग नं. 233504000272014

नत्थू पिता दौलत (मृत) द्वारा विधिक वारसान

- 1. सारजाबाई पति स्व. नत्थू जी, उम्र 70 वर्ष
- 2. रमेश पिता नत्थू, उम्र 47 वर्ष
- 3. भुवनेश्वर पिता नत्थू, उम्र 42 वर्ष
- 4. सुधाकर पिता नत्थू उम्र 36 वर्ष
- वन्दनाबाई पुत्री नत्थू, उम्र ४४ वर्ष
 क. 1 से 5 निवासी कुजबा,
 तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 6. श्रीमती दुर्गाबाई पुत्री नत्थू पति महादेव, उम्र 50 वर्ष निवासी प्रेमनगर पाथाखेड़ा, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.)<u>वादीगण</u>

वि रू द्व

- 1. खेमराज पिता आनंदराव, उम्र 60 वर्ष
- धनवंतराव पिता भीमराव, उम्र 42 वर्ष दोनों निवासी कुजबा, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 3. भगवंतराव पिता भीमराव, उम्र 55 वर्ष निवासी समीक्षा टाउन, पुलिस लाईन के पीछे, कॉचमहल, जबलपुर (म.प्र.)
- 4. लिलताबाई पुत्री भीमराव पित दिवाकर, उम्र 43 वर्ष निवासी शोभापुर कॉलोनी सारणी, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 5. प्रमिलाबाई पुत्री भीमराव पति बाबूराव बोड़खे, उम्र 43 वर्ष, निवासी लालमिट्टी, अमरकंटक रोड, जबलपुर (म.प्र.)
- 6. सुमित्राबाई पुत्री भीमराव, पति बाबूराव धोटे उम्र 55 वर्ष, निवासी जम्बाड़ी, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

- 7. भागरतिबाई पुत्री आनंदराव पति संतोष राव उम्र 61 वर्ष, निवासी आष्टा, तहसील मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 8. कोहलाबाई पुत्री बेनी (मृत) द्वारा विधिक वारसान
 - 1. ललित पिता गुलबतराव, उम्र 45 वर्ष
 - संतोष पिता गुलबतराव, उम्र 40 वर्ष दोनों निवासी कुजबा, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
 - श्रीमती सुमनबाई पित वामनराव पांडे उम्र 52 वर्ष, निवासी नंदन बी.टाईप, दमुआ, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
- 9. बलवंतराव पुत्र स्व. जनीबाई, उम्र 62 वर्ष
- 10. कैलाश पुत्र स्व. जनीबाई, उम्र 43 वर्ष क. 9 एवं 10 निवासी कुजबा, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 11. दुर्गादास पुत्र स्व. जनीबाई, उम्र 50 वर्ष निवासी रामजी साबले, आयोध्या नगर भोपाल (म.प्र.)
- 12. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>प्रतिवादीगण</u>

<u> -: (आदेश) :-</u>

<u>(आज दिनांक 07.07.2017 को पारित)</u>

- 1 इस आदेश द्वारा वादीगण की ओर प्रस्तुत अंतरिम आवेदन कमांक—1 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है।
- 2 आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बंटवारे में प्राप्त भूमि ख. नं. 299 रकबा 0.991 हे. तथा ख. नं. 505/4 रकबा 0. 581 हे. पर राजस्व अभिलेखों में त्रृटिपूर्ण तरीके से नाम दर्ज होने के आधार पर विवादित भूमि का प्रतिवादीगण द्वारा विक्रय किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा अवैध नामांतरण के आधार पर हस्तांतरण कर दिया जाता है तो वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी। वादी के पक्ष में सुविधा का संतुलन और प्रथम दृष्टया मामला है। अतः आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादीगण को वादी के हित की भूमि मेंह हस्ताक्षेप करने एवं विक्रय अथवा अन्यथा अंतरण से

निषेधित किया जाए।

- 3 प्रतिवादी क. 01 एवं 02 द्वारा उपर्युक्त आवेदन का लिखित में जवाब प्रस्तुत कर आवेदन के समस्त अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए यह लेख किया गया है कि विवादित भूमि ख. नं. 505 आनंदराव ने वर्ष 1950 में नन्हेलाल से क्रय की थी जो उसकी स्वअर्जित भूमि है और उसकी मृत्यु उपरांत उनके वारसानों का स्वत्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है तथा विवादित भूमि ख. नं. 299 पर अकेले वादीगण का कब्जा नहीं है। प्रतिवादीगण भी काबिज काश्तकार हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत वादीगण के पक्ष में नहीं है। अतः आवेदन निरस्त किया जाए।
- 4 प्रतिवादी बलवंत एवं प्रतिवादी क. 08 के वारसान लितत की ओर से उपर्युक्त आवेदन का जवाब पेश कर उसमें यह लेख किया गया कि विवादित भूमि ख. नं. 299 बंटवारे में वादीगण के पिता नत्थू को प्राप्त हुई थी तथा खसरा नंबर 505/4 यद्यपि प्रतिवादी आनंदराव के नाम पर है परंतु आनंदराव के द्वारा अपने हिस्से की भूमि पूर्व में ही विक्रय की जा चुकी है, मात्र वादी नत्थू के हिस्से की भूमि शेष बची है। प्रतिवादी आनंदराव के वारसान अवैध नामांतरण के आधार पर वादी को बंटवारे में प्राप्त भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। अतः वादी का आवेदन का निराकरण उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब को देखते हुए किया जाए।
- 5 आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय में समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :--
 - 1. क्या वादीगण के पक्ष प्रथम दृष्टया मामला है ?
 - 2. क्या स्विधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में किया ?
 - क्या आवेदन निरस्त किए जाने से वादीगण को अपूर्तनीय क्षिति होगी ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय प्रश्न क. 1 का निराकरण

वादी ने अपने आवेदन में यह लेख किया है कि विवादित भूमि ख. नं. 299 एवं ख. न. 505/4 बंटवारे में उसे प्राप्त हुई थी, परंतु राजस्व अभिलेखों में त्रृटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज है, जबिक प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 ने अपने जवाब में यह बताया कि ख. नं. 505 आनंदराव की स्वअर्जित भूमि है और आनंदराव की मृत्यु उपरांत उसके वारसानों को प्राप्त हुई तथा ख. नं. 299 के संबंध में यह बताया कि उपर्युक्त भूमि पर एकमात्र वादी का आधिपत्य ना होकर उनका भी आधिपत्य है।

- वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2013—14 के अवलोकन से लगभग 12 खसरा नंबरों की भूमि वादी नत्थू के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रही है, परंतु विवादित भूमि ख. नं. 299 एवं 505 वादी नत्थू के पर दर्ज होना उपर्युक्त दस्तावेजों के अवलोकन से प्रकट नहीं हो रहा है। किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2013—14 के अवलोकन से अन्य खसरा नंबरों के साथ—साथ विवादित भूमि ख. नं. 299 वादी नत्थू के भाई बेनी की पत्नी कोहलाबाई एवं उसके बच्चों बलवंत, कैलाश एवं दुर्गादास के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रही है तथा किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2013—14 के अवलोकन से ख. नं. 505/4 अन्य खसरा नंबरों के साथ प्रतिवादी आनंदराव के वारसानों के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रही है।
- वादी के द्वारा अपने आवेदन में यह लेख किया गया है कि ख. नं. 505/4 एवं 299 बंटवारे में उसे प्राप्त हुई थी परंतु राजस्व अभिलेखों में गलत नाम दर्ज हो गया है एवं वादी में वाद पत्र में यह भी अभिवचन किया है कि मूल ख.नं. 505 संयुक्त परिवार की आय से क्रय की गयी थी। जबिक प्रतिवादी क. 01 एवं 02 ने ख. नं. 505 आनंदराव की स्वअर्जित होना बताया हैं। साथ ही दस्तावेज विकय पत्र दिनांक 01.06.1950 प्रस्तुत किया है, परंतु प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे की यह प्रकट हो कि मूल ख. नं. 505 क्रय किए जाने के उपरांत मात्र प्रतिवादी आनंदराव के नाम पर उसके स्वत्व एवं आधिपत्य में दर्ज रहा हो। ऐसे काई राजस्व दस्तावेज प्रतिवादी क्र. 01 एवं 02 के द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों से ख. नं. 505 के बटे नंबर होना भी प्रकट हो रहा है।
- 9 प्रतिवादी क. 09 बलवंत एवं प्रतिवादी क. 08 के वारसान लिलत ने वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का समर्थन किया है और विवादित भूमि ख.नं. 299 त्रुटिपूर्ण प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो जाना एवं ख.नं. 505 भी वादी नत्थू के हिस्से में बंटवारा उपरांत आना अपने आवेदन में लेख किया है। विवादित भूमि ख. नं. 299 के संबंध में प्रतिवादी क. 01 एवं 02 ने अपने आवेदन में यह लेख किया है कि उपर्युक्त भूमि पर वादीगण के साथ—साथ उनका भी आधिपत्य है। इस प्रकार स्वयं प्रतिवादीगण ने ख. नं. 299 पर वादीगण का आधिपत्य स्वीकार किया है, परंतु प्रस्तुत राजस्व दस्तावेज से विवादित भूमि ख. नं. 299 वादी नत्थू के भाई बेनी के वारसानों के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रही है। इस प्रकार यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि विवादित भूमि ख. न. 299 पर वादी नत्थू या उसके वारसानों को आधिपत्य हो। यद्यपि वादी ने राजस्व दस्तावेजों में विवादित भूमि के संबंध में त्रृटिपूर्ण नाम दर्ज हो जाना लेख किया है, परंतु

किसी भी पक्ष की ओर से विवादित भूमि के साथ—साथ उनकी अन्य पैतृक भूमियों के संबंध में बंटावारा संबंधी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। अतः विधिवत् साक्ष्य उपरांत ही इसका निराकरण किया जा सकता है कि विवादित भूमि बंटवारे में वादी को प्राप्त हुई थी या प्रतिवादी को। साथ ही साक्ष्य उपरांत ही इसका निराकरण किया जा सकता है विवादित भूमि ख. न. 505 प्रतिवादी आनंदराव की स्वअर्जित भूमि थी या संयुक्त आय से क्य की गई भूमि थी, परंतु स्वयं प्रतिवादी क. 01 एवं 02 ने विवादित भूमि ख. नं. 299 पर वादी का आधिपत्य माना है। जबिक उपर्युक्त भूमि पर वादी का नाम राजस्व दस्तावेज में दर्ज नहीं है। इस प्रकार वादी के पक्ष में विवादित भूमियों के संबंध में स्वत्व घोषणा हेतु प्रथम दृष्टया मामला पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क. 2 एवं 3 का निराकरण

प्रतिवादी क. 01 एवं 02 ने विवादित भूमि ख. नं. 299 पर वादी का आधिपत्य माना है, परंतु साथ ही साथ स्वयं का भी आधिपत्य होना बताया है। राजस्व दस्तावेजों के अवलोकन से उपर्युक्त भूमि पर वादी नत्थू के भाई बैनी के वारसानों का नाम दर्ज होना प्रकट हुआ है तथा विवादित भूमि ख. नं. 505 / 4 प्रतिवादी आनंदराव के वारसानों के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रही है। ऐसी स्थिति में जबिक वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के हैं। विधिवत विभाजन संबंधी कोई भी दस्तावेज उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। मूल ख.नं. 505 एकमात्र प्रतिवादी आनंदराव के स्वत्व के होने संबंधी दस्तावेंज भी अभिलेख पर नहीं है। खसरा नंबर 299 पर स्वयं प्रतिवादीगण क. 01 एवं 02 ने वादी का आधिपत्य स्वीकार किया है। तब इन परिस्थितियों में विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण को उपभोग से वंचित किया जाना उचित नहीं होगा, परंतु यदि प्रतिवादीगण को विवादित भूमि के अंतरण से निषेधित नहीं किया जात है और यदि वाद लंबन के दौरान विवादित भूमि का विक्रय प्रतिवादीगण के द्वारा कर दिया जाता है तो निश्चित ही वादी को केता को भी पक्षकार बनाना पड़ेगा, जिससे कि वाद बाहुल्यता से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः वादी को निश्चित ही इससे असुविधा होगी और उससे होने वाली क्षति प्रतिवादी की तुलना में अत्यधिक होगी।

11 फलतः वादी द्वारा प्रस्तुत अंतरिम आवेदन क. 01 आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता आंशिक रुप से स्वीकार कर प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाता है कि वह प्रकरण के निराकरण तक विवादित भूमि ख. नं. 505/4 रकबा 0.581 हे. एवं ख. नं. 299 रकबा 0.991 हे. का विक्रय या अन्यथा अंतरण स्वयं अथवा अन्य किसी के माध्यम से ना करे। 12 आवेदन का निराकरण का प्रकरण के गुण—दोष के आधार पर पारित निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आवेदन के निराकरण का व्यय प्रकरण के परिणाम पर निर्भर करेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर पारित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल (श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल